शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या–3358/8–3–10–135काम्प/10टी.सी.

प्रेषक,

डा0 जे0एन0चैम्बर,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,	2–उपाध्यक्ष,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,	समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।	उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 12 अगस्त, 2010

विषयः अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

नियोजित कालोनियों में अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर हटाये जाने/ध्वस्तीकरण के सम्बंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश दिये गये हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अवैध निर्माण को हटाने/ध्वस्तीकरण किये जाने में सम्बंधित निकायों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नियोजित कालोनियों में भूमि एवं भवन का महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित उपयोग के विपरीत किया जाना गम्भीर प्रकृति का अपराध है, जिससे न केवल रिहायशी क्षेत्र के निवासियों को असुविधा होती है बल्कि वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के साथ–साथ यातायात व अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव पड़ता है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल नियंत्रण एवं अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है।

2– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न होने पाये। यदि इस प्रकार का कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है तो उसे प्रारम्भिक अवस्था में ही ध्वस्त करते हुए नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रवर्तन विभाग के जिन अधिकारियों/अभियन्ताओं के क्षेत्रों में अवैध निर्माण हों अथवा

उसे रोकने में उनके द्वारा प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लगाया जा रहा हो तो सम्बंधित अधिकारियों/अभियन्ताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के अतिरिक्त भविष्य में उन्हें प्रवर्तन के कार्य से विरत रखा जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डा0 जे0एन0चैम्बर
प्रमुख सचिव।

संख्या– 3358 (1)/8–3–2010

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
2– अध्यक्ष,समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए शासनादेश की प्रतियां सभी सम्बंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शम्भूनाथ)
उपसचिव।